प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.07.2026

स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा मोबाइल टावरों से इलैक्ट्रोनिक डिवाइस-BBU/RRU चोरी करने व उनकी खरीद फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 03 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का लगभग 01 करोड़ रुपये का माल व घटना करने मे प्रयुक्त 01 बीएमडब्लू कार बरामद ।

दिनांक- 01/07/2026 को स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाब से मोबाइल टावरों से रिमोट रेडियो यूनिट (RRU), बेसबैण्ड यूनिट (BBU) आदि इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस चोरी करने व उनकी खरीद फरोख्त करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का फर्दाफाश करते हुए, थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रान्तर्गत मोबाईल टावर से रिमोट रेडियो यूनिट चोरी करते समय 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर विभिन्न मोबाइल टावरों से चोरी किये गये रिमोट रेडियो यूनिट, बेस बैण्ड यूनिट आदि इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 01 करोड रूपये है।

उल्लेखनीय है कि मोबाइल टावर में बैसबैण्ड यूनिट एक महत्वपूर्ण अवयव है, जोकि टावर पर प्राप्त होने वाले सिग्नल की प्रॉसेसिंग का कार्य करता है। एक यूनिट का मूल्य 5 से 10 लाख के बीच होता है। सामान्य भाषा में यह मोबाइल टावर का मस्तिष्क है। इसी प्रकार आर0आर0यू0 भी मोबाइल टावर का एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो एन्टीना और बी0बी0यू0 के बीच लिंक स्थापित करता है। आर0आर0यू0 की एक यूनिट का मूल्य 1.5 से 2 लाख के मध्य होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1.अदनान उर्फ अज्जू पुत्र अनवार निवासी मौहल्ला कोटला कस्बा व थाना मीरापुर जनपद-मुजफ्फरनगर हाल निवासी हैवल्स चौक, खचेडू कालोनी, सैक्टर 31 फरीदाबाद हरियाणा उम्र करीब 23 वर्ष

2.आमिर पुत्र महबूब निवासी ग्राम कसेरवा थाना शाहपुर जनपद-मुजफ्फरनगर हाल निवासी 60 फुटा रोड ईदगाह के पास पसोण्डा थाना टीलामोड गाजियबाद उम्र करीब 26 वर्ष

3.सौरभ पुत्र सतीश कुमर निवासी जाटव चौपाल के पास ग्राम टीला शाहबाजपुर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त **आमिर** ने पूछताछ पर बताया कि वह 10वीं पास है। पढाई छोड़कर इसके द्वारा स्क्रैप का काम शुरू कर दिया। वर्ष 2023 में गाँव में जमीनी विवाद को लेकर हत्या के अपराध मे जेल चला गया था। जेल में आमिर की मुलाकात फरीदनगर भोजपुर निवासी अनस से हुई जिसने उसको मोबाइल टावरों से चोरी किये गये आर0आर0यू0 व बी0बी0यू0 आदि इलैक्ट्रोनिक डिवाइस के काम में होने वाले फायदे के बारे में बताया, तो उसने **अनस** के साथ मोबाइल टावरो से चोरी उपकरणों का काम शुरू कर दिया, जिसमें वह वर्ष 2025 में गाजियाबाद से जेल चला गया। वर्ष 2026 में जेल से छूटने के बाद उसकी मुलाकात अदनान उर्फ अज्जू निवासी मीरापुर से हुई

जिसके बाद आमिर ने अदनान के साथ मिलकर मोबाइल टावरों से उपकरणों की चोरी का काम शुरू कर दिया जिसमें उसको प्रत्येक उपकरण के 70 से 80 हजार रूपये मिलते है।

अभियुक्त **अदनान उर्फ अज्जू** ने पूछताछ करने पर बताया कि वह 12वीं तक पढा हुआ है तथा मूल रूप से जनपद मु0नगर का रहने वाला है। पिता की मृत्यु के बाद वह सैक्टर 31 फरीदाबाद स्थित अपने पिता की स्क्रैप की दुकान पर काम करने लगा। वर्ष 2025 में अदनान की मुलाकात आमिर उपरोक्त से हुई जिसने अदनान को मोबाइल टावरों से चोरी किये गये आर0आर0यू0 व बी0बी0यू0 आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के काम में होने वाले फायदे के बारे में बताया तो अदनान ने आमिर के साथ मिलकर मोबाइल टावरों से चोरी उपकरणों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर दिया। अदनान के द्वारा इसे आगे सोनू, शहनवाज निवासी मेरठ व जावेद जोकि पूर्व में मोबाइल टावर से चोरी के प्रकरण में इनामी अपराधी रह चुका है, को बेचा जाता था। अदनान के अनुसार इन उपकरणों को आगे थाइलैण्ड व हॉगकॉग भेजा जाता था, जिसकी जाँच की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त **सौरभ** ने पूछताछ पर बताया कि वह 10वीं पास है तथा गाजियाबाद नगर निगम मे सफाई कर्मचारी का काम करता है। सौरभ ने बताया कि उसको जानकारी हुई कि मोबाइल टावरों के उपकरणों की चोरी कर बेचने से काफी फायदा होता है। इसी बीच सौरभ की मुलाकात पूर्व से मोबाइल टावरों से चोरी उपकरणों की खरीद-फरोख्त करने वाले आमिर उपरोक्त से हुई जिसके साथ मिलकर सौरभ अपने साथियों के साथ मोबाइल टावरों के उपकरणों की चोरी करके आमिर को देना शुरू कर दिया। इस काम मे सौरभ को प्रत्येक उपकरण के 20 से 30 हजार रूपये मिलते है।

पूछताछ करने पर पकडे गये अपराधियों ने यह बताया कि इन लोगो ने पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य-प्रदेश, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर मे कई स्थानों पर मोबाइल टावरों से आर0आर0यू0 व बी0बी0यू0 आदि उपकरण चोरी किये है।

बरामदगी का विवरण-

1.विभिन्न मोबाइल टावरो से चोरी रेडियो रिसीवर यूनिट- 20

2.विभिन्न मोबाइल टावरों से चोरी बेस बैण्ड यूनिट -07

3.रेडियो रिसीवर यूनिट चैकिंग मशीन- 01

4.मोबाइल टावर से इलैक्ट्रोनिक डिवाइस चोरी करने मे प्रयुक्त उपकरण- 01 प्लास, 01 वायर कटर

5.घटना करने मे प्रयुक्त बीएमड्बलू कार रंद सफेद रजिस्ट्रेशन नम्बर DL 7CR 9911

आपराधिक इतिहास –

1.**आपराधिक इतिहास अभियुक्त आमिर**

1.मु0अ0स-44/23 धारा-147/148/149/307/302/34/504 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर।

2.मु0अ0स0-369/258 धारा-3(5) / 317(2)/ 317(4)/ 317(5) बीएनएस थाना सिहानीगेट

अभियुक्त अदनान उर्फ अज्जू व सौरभ के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध मे जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.स्वाट टीम, अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2.थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

पुरस्कार- अपर पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/ यातायात द्वारा उपरोक्त टीम के उत्साहवर्धन हेतु रूपये 50,000/- के नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र की घोषणा की गयी है।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी श्री शाकिर पुत्र शौकत द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त राहुल पुत्र जयवीर मावी व उसके अज्ञात साथी द्वारा वादी के भाई मौ0 जैद उर्फ शारिक को मोटरसाइकिल व कार में टक्कर होने के उपरान्त वादी के भाई को अपने ऑफिस पर ले जाकर मारपीट करना जिसकी उपचार के द्वारान मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त राहुल मावी उर्फ पहलवान पुत्र जयवीर मावी निवासी ग्राम टीला शाहबाजपुर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा उसके साथी अनुज कसाना पुत्र बिजेन्द्र कसाना निवासी ग्राम शकलपुरा लोनी गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आया। साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 140(3)/352/351(3) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त राहुल मावी उर्फ पहलवान ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 29.06.2026 को वह अपने साथी अनुज कसाना के साथ बलेनो कार से लोनी तिराहा से फल लेकर वापस अपने मनीष प्रॉपर्टीज ऑफिस पर आ रहा था। तभी इंन्द्रप्रस्थ गैस प्लांट चौराहा से बेहटा नहर की तरफ मृतक जैद द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से हमारी बलेनो कार में टक्कर मार दी थी जिस कारण हमने जैद व उसके अन्य दो साथियों को अपने ऑफिस मनीष प्रॉपर्टीज पर ले गये और वहाँ पर हमने जैद से अपनी गाडी की क्षतिपूर्ति का खर्चा माँगा तो उसने खर्चा देने से मना कर दिया। जैद के मना करने पर हमने उसके साथ मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद जैद के साथी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गये। हमे बाद में जानकारी हुई कि उपचार के दौरान जैद की मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राहुल मावी उर्फ पहलवान पुत्र जयवीर मावी निवासी ग्राम टीला शाहबाजपुर, थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज कसाना पुत्र बिजेन्द्र कसाना निवासी ग्राम शकलपुरा लोनी गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में आज दिनांक **01.07.2026** दिन **बुधवार** को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर पूर्व की तरह **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया।

आज दिनांक 01.07.2026 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	**जोन**	**संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या**
1.	नगर	73
2.	ट्रांस हिण्डन	101
3.	ग्रामीण	77
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**251**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अवैध नशेले पाउडर की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 121 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम व बिक्री के 1150/- रुपये नगद बरामद।

दिनांक 30.06.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध नशीले पाउडर की तस्करी करने वाले अभियुक्त ओम सिंह उर्फ चोचू पुत्र बलराम निवासी ओमवती का किराये का मकान म0 नं0 18 गली नं0 2 पार्वती वाली गली, 20 फुटा रोड सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 22 बर्ष को बीआर इण्टरनेशनल स्कूल के सामने खाली मैदान थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 121 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम व नशीले पाउडर की बिक्री के 1150/- रुपये नगद बरामद हुए

। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि मैं फुटा 20 रोड सुदमापुरी मे किराये के मकान मे रहता हूं तथा दिल्ली से सस्ते दामो पर नशीला पाउडर लेकर आता हूं तथा उसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामो पर लाल क्वाटर्स व सुदामापुरी के आस पास रहने वाले नशीला पाउडर लेने वाले लोगो को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

ओम सिंह उर्फ चोचू पुत्र बलराम निवासी ओमवती का किराये का मकान म0 नं0 18 गली नं0 2 पार्वती वाली गली, 20 फुटा रोड सिद्धार्थ विहार बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 22 बर्ष।

बरामदगी का विवरण –

121 ग्राम अवैध नशीला पाउडर एल्प्राजोलम व नशीले पाउडर की बिक्री के 1150/- रुपये नगद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर गाजियाबाद से जुआ अधि0 का 01 अभियोग व थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद पर NDPS ACT से सम्बन्धित 02 अभियोग व थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर NDPS ACT से सम्बन्धित 01 अभियोग कुल 05 अभियोग पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।